आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
06/12/2021	**न्यायालय, आयुक्त, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल, राँची** **राजस्व पुनरीक्षण 12/2021** **शम्भू उरांव** **बनाम्** **चोन्हस लकड़ा** **आदेश** राजस्व पुनरीक्षण 28/2021–22 शम्भू उरांव द्वारा चोन्हस लकड़ा के विरूद्ध दायर किया गया था, जिसमें अपर समाहर्त्ता, राँची द्वारा विविध वाद संख्या 05/2020–21 में पारित आदेश को चुनौती दी गई है। प्रश्नगत वाद में ग्राम– होटवासी, खाता नं०– 56 में अवस्थित 22 अलग–अलग प्लॉट के 15.84 एकड़ भूमि सम्मिलित है। अपर समाहर्त्ता द्वारा उक्त भूमि को विपक्षियो के नाम से रसीद निर्गत करने का आदेश पारित किया गया है। दिनांक 07.09.2021 को यह वाद प्रथम सुनवाई हेतु उपस्थापित हुआ। आवेदक उक्त तिथि को उपस्थित नही हुए। पुनः अगली दो तिथियों में आवेदक अनुपस्थित रहे। दिनांक 21.09.2021 को विपक्षियों के तरफ से स्वतः हाजरी दी गई तथा यह भी सूचित किया गया कि प्रश्नगत मामले में इस न्यायालय में पूर्व में ही आदेश पारित किया जा चुका है। उन्हें उक्त आदेश प्रस्तुत करने हेतु निदेशित किया गया। उक्त तिथि के प्रश्चात भी लगातार चार तिथियों पर आवेदक न्यायालय से अनुपस्थित रहे। दिनांक 16.11.2021 को विपक्षियों के द्वारा इस न्यायालय के द्वारा वाद संख्या 30/1981 में पारित आदेश की प्रति प्रस्तुत की गई। दिनांक 23.11.2021 को यह वाद अंतिम सुनवाई हेतु निर्धारित किया गया। किंतु आवेदक उक्त तिथि को भी अनुपस्थित रहे। जिसे कारण इस मामले एक पक्षीय सुनवाई की गई। आवेदक द्वारा अपने आवेदन के साथ निम्न न्यायालय के सम्पूर्ण अभिलेख की प्रति भी प्रस्तुत की गई है अतः पुन निम्न न्यायालय के अभिलेख की आवश्यकता नही है। निम्न न्यायालय के आदेश के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अपर समाहर्त्ता द्वारा वाद सं० 28R185/77-78 के द्वारा विपक्षियों के नाम से जमाबंदी कायम रखने का	

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

तथा आवेदक सुखराम उरांव जो वर्त्तमान वादी के पिता है को सक्षम व्यवहार न्यायालय से आदेश प्राप्त करने का निर्णय संसूचित किया गया। इस आदेश के विरूद्ध आयुक्त न्यायालय में पुनरीक्षण वाद 30/9081 दायर किया गया जिसे सुनवाई के उपरांत आयुक्त न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया। आवेदक द्वारा इस तथ्य को छुपाते हुए पुनः इस न्यायालय में पुनरीक्षण वाद दायर किया गया है। यह भी स्पष्ट होता है कि इसी विषय पर व्यवहार न्यायालय में टाईटल सूट 16/1993 सुखराम उरांव के द्वारा दायर किया गया जो खारिज हो गया। उपुर्यक्त तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत वाद में 1977–78 में ही अंतिम आदेश अपर समाहर्त्ता के द्वारा तथा 1981 में इस न्यायालय के द्वारा पारित किया गया। अपने पक्ष में निर्गत एक बण्डा पर्चा के आधार पर तथा अंचल अधिकारी द्वारा प्रेषित एक जांच प्रतिवेदन के आधार पर आवेदकों के तरफ से पुनः इस न्यायालय में पुनरीक्षण वाद दायर किया गया है। इस न्यायालय द्वारा वर्ष 1981 में ही इस विषय पर अंतिम निर्णय पारित किया जा चुका है अतः पुनः उसी विषय पर सुनवाई किया जाना न्यायोचित नही है। सक्षम व्यवहार न्यायालय के द्वारा आवेदक के पिता के तरफ से दायर टाईटल सूट को भी खारिज किया जा चुका है। इस न्यायालय में एक भी तिथि को आवेदक अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित नही हुए। वर्णित परिस्थिति में इस पुनरीक्षण आवेदन को मान्य करना का अथवा उस पर पुन सुनवाई करने का कोई आधार नही है। यह विषय पूर्णतः भूमि के स्वत्व निर्धारण से संबंधित है अतः आवेदक सक्षम व्यवहार न्यायालय से इस संबंध में आदेश प्राप्त कर सकते है। अतः इस पुनरीक्षण आवेदन को खारिज किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

आयुक्त।

आयुक्त।

Digitally signed by NITIN MADAN KULKARNI
Date: 2022.07.23 15:45:52 +05:30
Location: 192.168.1.40